RCMS NO - 2017/00071

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्या: 32/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. भमरसिंह पुत्र शिवलाल
2. सानसिंह पुत्र भमरसिंह

} कौम धाकर निवासी ग्राम हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती रम्भो पत्नी लक्ष्मण जाति धाकर निवासी ग्राम हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार बयाना जरिये पैरोकार सरकार।

.................रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 4.10.2006 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 161 वाकै ग्राम ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री रूपेन्द्र वकील अपीलान्ट।
3. श्री तालेराम वकील रैस्पोडेन्ट।
4. श्री दुलीचंद शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 13.6.2018

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 4.10.2006 नामा0 सं0 161 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 4.10.2006 के जरिये आ0ख0नं0 502/10.15, 510/0.08, 512/0.07, 517/0.01, 520/0.17, 302/0.12, 303/0.09 किता–7 रकबा 0.69 है0 मु0 रम्भो पुत्री गंगाधर पत्नि लक्ष्मन धाकर निवासी हरनगर के नाम दर्ज

किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित भूमि ख0नं0 502/0..12, 303/0.09, 502/0.15, 510/0.08, 512/0.07, 517/0.01, 520/0.17 कुल किता 7 रकबा 0.69 है0 ब्रहमवाद तहसील बयाना में स्थित है। यह आराजीयात व मृतक गंगाधर की खातेदारी में थी। मृतक गंगाधर की पत्नि गुलकन्दी एवं दो पुत्रीयां मु0 शान्ती व मु0 रम्भो थी। शान्ती का विवाह भमरसिंह रैस्पो0–1 के साथ तथा रम्भो का विवाह लक्ष्मन के साथ हुआ था। गंगाधर की मृत्योपरान्त विरासत का दाखिल खारिज गुलकन्दी वेवा गंगाधर के नाम दर्ज व तस्दीक हो गया। गुलकन्दी ने अपनी बडी लडकी शान्ती की सेवाओं से खुश होकर अपनी समस्त खातेदारी की आराजी की बाबत मु0 शान्ती के नाम दिनांक 6.4.1977 को दानपत्र तहरीर तकमील कराकर रजिस्टर्ड करा दिया जो आज भी वैलिड है। तब से ही शान्ती उक्त भूमि पर कब्जे काश्त करती चली आ रही थी। चूंकि शान्ती का स्वर्गवास हो गया इसलिऐ उसके स्थान पर उसके लडके मानसिंह के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज हो गया। इस प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी पर तब से लेकर आज तक काश्त करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट का कथन है कि रैस्पो0 ने एक दावा 128/77 डिकलेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी का न्यायालय एसडीओ बयाना में गुलकंदी व भमरसिंह के नाम दायर किया जिसका मैरिट पर निर्णय होकर दिनांक 25.1.1986 को खारिज कर दिया। इसकी अपील रैस्पो0 द्वारा आरएए के यहां की गई जो किसी भी तरीके से रैस्पोडेन्ट से स्वीकार करा ली। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो खारिज कर दी गई। बोर्ड ने एसडीओ बयाना को निर्देश दिये कि विवादित आराजी के कुरे बनवाये जाकर दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय करें। चूंकि विभिन्न सिविल न्यायालयों में गुलकन्दी व रम्भों ने अपीलान्ट के खिलाफ कई मुकदमें दायर किये हुये थे। एसडीओ बयाना की पत्रावली 128/77 माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बयाना द्वारा तलब की ली गई। इस दौरान रैस्पो0 ने एसडीओ साहब से मिल कर विवादित अराजी को कैफीयत जारी कराकर दिनांक 16.12.98 के अधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। रैस्पो0 ने दिनांक 16.12.98 के आधार पर जो खातेदारी दर्ज कराई उसे एसओ एण्ड आरएए द्वारा दिनांक 1.8.2003 के द्वारा निरस्त करते हुये यह आदेश दिया कि पत्रावली एसडीओ बयाना में भिजवाई जाकर दोनो पक्षों को सुनकर, कुरेजात बनवाये जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जावे। जिसकी पालना नहीं हुई।

दानपत्र को निरस्त कराने के लिये गुलकन्दी ने एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बयाना में प्रस्तुत किया जो 28.8.98 को खारिज हुआ। जिसकी अपील गुलकन्दी ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 बयाना के यहां की गई। दौरानें अपील गुलकन्दी का स्वर्गवास हो गया उसके स्थान पर अपीलान्ट के रूप में रैस्पो0 रम्भो को पक्षकार बनाया गया। यह अपील भी 28.5.2005 को खारिज कर दी गई। दानपत्र किसी भी अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया है दानपत्र आज भी वैलिड है। यह कि दाखिल खारिज 161 की पुनः सुनवाई किये जाने के लिये न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ भिजवाई गई कि दोनों पक्षों को सुना जाकर एवं माननीय सिविल न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुये नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार बयाना ने सभी न्यायालयों के निर्णयों को ताक पर रखते हुये दानपत्र को अनदेखा करते हुये रैस्पो0 रम्भो से साजकर नामान्तरकरण संख्या 161 में दिनांक 4.10.2066 को रैस्पो0 रम्भो के नाम विवादित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज दर्ज कर दिया है। तहत अदालत ने मनमाना क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतिरिक्त कथन में वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क किया कि जब खातेदार गुलकन्दी द्वारा अपनी समस्त आराजी का दानपत्र शांतिदेवी के नाम दिनांक 6.4.1977 को तहरीर कर दिया तो अब रम्भो को इस आराजी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिऐ क्यों कि दानपत्र दिनांक 6.4.1977 आज दिनांक तक अस्तित्व में है जो किसी भी अदालत ने निरस्त नहीं किया है। अन्त में वकील अपीलान्टस द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 पर दिये गये आदेश दिनांक 4.10.2006 निरस्त की जाकर रैस्पो0 रैम्भो के नाम को कलमजन किया जाकर वदस्तूर खातेदारी का इन्द्राज अपीलान्ट का दर्ज किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.2006 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार विरासत के आधार पर पूर्ण रूपेण कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही स्वीकृत किया गया है। क्यों कि शाति और रम्भो दोनों गुलकन्दी की पुत्रीयां है और भूमि गुलकन्दी के पति की थी। अर्थात मृतक खातेदार गंगाधर के तीन वारिस थे (1) पत्नी गुलकन्दी (2) बडी पुत्री शाति एवं (3) छोटी पुत्री रम्भो। गंगाधर की मृत्योपरान्त समस्त आराजी उसकी पत्नी गुलकन्दी के नाम आ गई। मृतक की दोनों पुत्रीयों को छोड दिया गया। भंवरसिंह जो शांतिदेवी का पति है

ने पूरी भूमि का दानपत्र गुलकन्दी से अपने नाम करा लिया जिस पर रम्भो जो मूल मृतक खातेदार गंगाधर की जायन्दा पुत्री के रूप में तीसरे नम्बर की वारिस थी उसे एतराज हुआ। रम्भों ने नियमानुसार अपना हिस्सा लेने के लिये आराजी के 1/3 हिस्से पर डिकलरेशन का दावा किया जो एसडीओ ने खारिज कर दिया। उसके बाद आरएए भरतपुर के यहां अपील की गई जिसे रैस्पो0 रम्भों के पक्ष में डिकी किया गया । जिसकी अपील अपीलान्ट भंवरसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई उसमें आर0ए0ए0 भरतपुर का फैसला बहाल रखा तथा कुरेबन्दी हेतु एसडीओ को भेजा गया। यह कि दानपत्र को केन्सिल कराने के लिये मु0 गुलकन्दी ने एक दावा सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बयाना में प्रस्तुत किया जो 28.8.98 को खारिज किया गया। इस निर्णय की अपील गुलकन्दी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बयाना के यहां की गई जिसमें दिनांक 28.5.2005 को निर्णय पारित किया गया अपील खारिज करते हुये सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बयाना के निर्णय दिनांक 28.8.98 की पुष्ठि की गई है। लेकिन यह निर्णय गुणावगुण पर पारित न किया जाकर मियाद बिन्दु पर ही पारित किया गया है। जिस ग्राउण्ड पर दानपत्र खारिज कराने आयी है वो सावित तो नहीं हुये किन्तु मैरिट पर तय नहीं किया गया है । वकील रैस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि किसी भी न्यायालय ने रैस्पोडेन्ट रम्भों को मूल मृतक खातेदार गंगाधर की जायन्दा पुत्री होने से इन्कार नहीं किया है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गुलकन्दी जो स्वयं गंगाधर की पत्नि के रूप में वारिस है उनको अपने हक तक ही दानपत्र लिखने का आधिकार है न कि किसी अन्य वारिस के हक को दान करने का। इस प्रकरण में गुलकन्दी ने अपने हक के साथ साथ रैस्पो0 रम्भों के 1/3 हिस्से का भी तथाकथित दानपत्र तहरीर किया है जो कानूनी प्रावधानों के व हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रावधानों सर्वथा विपरीत है। इसके अलावा वकील रैस्पो0 का तर्क है कि यह नामान्तरकरण स्वयं अर्जित जायदाद का नहीं है बल्कि पैतृक जायदाद का नामान्तरकरण है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पर बाद जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.2006 विधिक वारिस रम्भो के हक में पारित किया गया है जो न्यायोचित है। विधिक वारिसान रैस्पो0 रम्भों के हक हकूको को कलमजन कर पैतृक आराजी को अपीलान्ट अकेले अपने नाम कराना चाहते है जो किसी भी सूरत में प्राकृतिक न्याय नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है। वकील रैस्पोडेन्ट ने अपने अतिरिक्त कथनों में तर्क किया कि रम्भो

गंगाधर की जायन्दा पुत्री है और पैतृक आराजी में तीसरे नम्बर की विधिक वारिस की हैसियत से इस भूमि में 1/3 हिस्से पर बखूबी हक हकूक रखती है। अपने हक के अलावा किसी अन्य के हक को दानपत्र के जरिये दान करने का किसी को भी कतई कोई अधिकार नही है यह एक त्रुटी की श्रेणी में आता है और त्रुटी सुधार किये जाने का प्रावधान कानून में वखूबी मौजूद है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 पर तहसीलदार बयाना द्वारा दी गई आज्ञा दिनांक 4.10.2006 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 पर अंकित आज्ञा दिनांक 4.10.2006 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बयाना द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.6.2004 जिसमें प्रतिप्रेषित किया जाकर तहत अदालत को निर्देशित किया गया था कि वे इस संबध में हायर अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित अंतिम निर्णयानुसार उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। पालना में तहसीलदार बयाना द्वारा रिमाण्ड प्रकरण पर बाद परीक्षण निर्णय दिनांक 4.10.2006 पारित किया गया है जिसके तहत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 पर नोट इस आशय का अंकित किया है कि ख0नं0 502/0.15, 510/0.08, 512/0.07, 517/0.01, 520/0.17, 302/0.12, 303/0.09 किता–7 रकबा 0.69 हैक्टेयर मु0 रम्भो पुत्री गंगाधर पत्नि लक्ष्मण जाति धाकर निवासी हरनगर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल किया जावे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल खातेदार गंगाधर की मृत्योपरान्त अपनी विरासत में छोडी गई आराजी नम्बर 302, 303, 502, 510, 512, 517, 520 किता–7 रकबा 2.05 हैक्टेयर पर विधिक वारिसान गुलकन्दी 1/3 हिस्सा (पत्नी के रूप में) शान्ती देवी 1/3 हिस्सा (बडी पुत्री के रूप में) रम्भो देवी 1/3 हिस्सा (छोटी पुत्री के रूप में) वहिस्सा बरावर वखूबी हक रखती थी किन्तु गंगाधर की मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण आराजी पर मात्र पत्नि गुलकन्दी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाना न्यायोचित नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी हिन्दु पुरूष के मरने के बाद उसकी विधवा एवं पुत्र पुत्रीयां पैतृक सम्पत्ति में बराबर हिस्सा प्राप्त करती हैं । इसके अलावा एक विधिक वारिसान के हक में आये विरासतन अधिकार को अतिक्रमित

करते हुये सम्पूर्ण पैतृक आराजी का किसी एक वारिस के नाम दानपत्र लिख दिया जाना भी गैर न्यायिक ही रहता है। वास्तव में रैस्पो0 रम्भो मृतक गंगाधर की जायज्दा पुत्री है एवं गंगाधर द्वारा धारित भूमि में से 1/3 हिस्से की विरासतीय अधिकारो की वारिसिनी है। ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्ट रम्भों का नाम राजस्व अभिलेख में वहैसियत खातेदार अभिलिखित किया जाना न्यायोचित रहता है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण माननीय राजस्व मण्डल के आदेश 5.6.1997 की पालना में बाद न्यायिक प्रक्रिया पूर्ति के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.2006 पारित किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। लिहाजा ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 4.10.2006 तथा उसकी पालना में स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 161 के संदर्भ में पारित आज्ञा दिनांक 4.10.2006 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को सरे इजलास सनाया गया।